सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 6, गुरूवार, *शाके* 1942–फरवरी 25, 2021 *Phalguna 6, Thursday, Saka 1942- February 25, 2021*	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 25, 2021

संख्या एफ. 13(06)विशा/विस/2021 :-राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 जैसा कि दिनांक 25 फरवरी, 2021 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

2021 का विधेयक सं. 6

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 6 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं.18), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में,-

(i) विद्यमान उप-खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii) नगरपालिक प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले, नगरपालिक बोर्ड के मामले में छह व्यक्ति, नगर परिषद् के मामले में आठ व्यक्ति और नगर निगम के मामले में बारह व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये:";

(ii) परन्तुक के विद्यमान उप-खण्ड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(iv) खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) के अधीन नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद् और नगर निगम प्रत्येक में नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में एक दिव्यांग व्यक्ति सम्मिलित होगा;"।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 24 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 24 के विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण.- खण्ड (xvii) के प्रयोजन के लिए,-

(I) किसी एकल प्रसव से जन्मी हुई सन्तानों की किसी भी संख्या को एक ही माना जायेगा और दत्तक में दी गयी किसी संतान को संतानों की संख्या की गणना करते समय अपवर्जित नहीं किया जायेगा; और

(II) संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से जन्मी हो और दिव्यांगता से ग्रस्त हो और इस प्रयोजन के लिए, शब्द "दिव्यांगता" में, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 49) में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की दिव्यांगता सम्मिलित होगी।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 और 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने, अधिसूचना सं. प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/19/1523, जयपुर, दिनांक 10.06.2019 द्वारा नगरपालिकाओं में स्थानों की संख्या को पुन: अवधारित किया है। 2011 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक नगरपालिका में स्थानों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप, नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के स्थानों की संख्या में भी वृद्धि किये जाने की व्यापक रूप से मांग विभिन्न लोक प्रतिनिधियों और संगठनों द्वारा की जाती रही है। इस पर विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार ने नगरपालिका में नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले, नगरपालिक प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि करने का विनिश्चय किया है। इसलिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त, स्थानीय स्वशासन में दिव्यांगजनों की समुचित भागीदारी और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 49) के विनिर्दिष्ट उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए और उन्हें अन्य व्यक्तियों के साथ अपने अधिकारों का समान रूप से उपभोग करने के लिए समर्थ बनाने हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) में यथोचित उपबंध किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार, धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के विद्यमान परन्तुक में एक नया उप-खण्ड (iv) जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अनुरूप यह प्रस्तावित है कि नगरपालिका का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 24 के अधीन निरर्हता के प्रयोजन के लिए पूर्व के प्रसव से जन्मी दिव्यांग संतान की गणना नहीं की जानी चाहिए। तदनुसार, अधिनियम की धारा 24 को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

शान्ती कुमार धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

Bill No. 6 of 2021

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) BILL, 2021

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In clause (a) of sub-section (1) of section 6 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing sub-clause (ii), the following shall be substituted, namely:-

"(ii) six persons in case of Municipal Board, eight persons in case of Municipal Council and twelve persons in case of Municipal Corporation, having special knowledge or experience in municipal administration, to be nominated by the State Government by notification in the Official Gazette:";

(ii) after the existing sub-clause (iii) of the proviso, the following new sub-clause shall be added, namely:-

"(iv) the number of persons to be nominated each in Municipal Board, Municipal Council and Municipal Corporation under sub-clause (ii) of clause (a) shall include one person with disability;".

3. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing Explanation to section 24 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**Explanation.-** For the purpose of clause (xvii),-

(I) any number of children born out of a single delivery shall be deemed to be one entity and any child given in adoption shall not be excluded while computing the number of children; and

(II) while counting the total number of children a child born from earlier delivery and having disability shall not be counted and the word "disability" for this purpose, shall include any type of disabilities specified in or under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act No. 49 of 2016).".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Vide Notification No. Pa.8(Ga)( )Niyam/DLB/19/1523 Jaipur, dated 10-06-2019 the State Government, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 9 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009, has re-determined the number of seats in Municipalities. The number of seats in each Municipality has been considerably increased on the basis of Census-2011. Consequently, there has been widespread demand by the various public representatives and organizations to increase the number of seats of nominated persons also. Upon consideration the State Government has decided to increase the number of persons having special knowledge or experience in municipal administration, to be nominated in the Municipality. Therefore, sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 6 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 is proposed to be amended suitably.

Further, for proper participation of persons with disabilities in Local Self Government and implementation of specific provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act No. 49 of 2016) and to enable them to enjoy their rights equally with others, suitable provision is proposed to be made in the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009). Accordingly, a new sub-clause (iv) is proposed to be added to the existing proviso of clause (a) of sub-section (1) of section 6.

In consonance with the provisions of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 it is proposed that while counting the total number of children of a person for being chosen as or being a member of a Municipality, the disabled child born from earlier delivery should not be counted for the purpose of disqualification under section 24 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009. Accordingly, section 24 of the Act is proposed to be amended suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

शान्ती कुमार धारीवाल,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil Kumar Mathur,
Secretary.

Government Central Press, Jaipur.